



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012026-269344
CG-DL-E-14012026-269344

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 2026/पौष 24, 1947

No. 190]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 2026/PAUSHA 24, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2026

का.आ. 201(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. **284 तारीख 15/01/2025**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में NH146 के कि.मी. 108.115 से कि.मी. 149.141 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **18/01/2025** को “नव दुनिया” एवं “फ्री प्रेस” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में NH146 के कि.मी. 108.115 से कि.मी.149.141 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: सागर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: राहतगढ़					
गांव का नाम: मढा					
1	1/1	निजी	सिंचित	0.18	उस्मान पिता अब्दुलकादर
2	1/7	निजी	सिंचित	0.18	मु शादीक पिता मु हनीफ
3	17/1	निजी	आवासीय	0.04	सीमा पति श्रीराम
4	2/12	निजी	सिंचित	0.04	आशिक पिता मुहम्मद हनीफ
5	2/14	निजी	सिंचित	0.045	मु रफीक पिता शरीफ
6	24/1	निजी	सिंचित	0.28	मुकेश पिता गनेश जयराम पिता गनेश जगदीश पिता गनेश
7	24/10	निजी	सिंचित	0.1	लीलावती पति अशोक कुमार
8	24/11	निजी	व्यावसायिक	0.19	अमित कुमार पिता अशोक कुमार
9	24/2	निजी	सिंचित	0.18	भागवती पुत्री लखन प्रियंका पुत्री लखन नीतेश पिता लखन मोतीबाई बेवा लखन संजय पिता लखन
10	24/3/1/1	निजी	सिंचित	0.06	फारुख कसाई पिता सिद्दीक कसाई
11	24/3/1/2	निजी	सिंचित	0.185	मो. आरिफ पिता अब्दुल रशीद वसीम पिता अब्दुल रशीद मोहम्मद शमी पिता अब्दुल रशीद फरीद पिता अब्दुल रशीद शकील पिता अब्दुल रशीद मो आसिफ पिता

					अब्दुल रशीद जाहिदा बी पत्नी अब्दुल रसीद
12	24/3/2	निजी	सिंचित	0.27	कल्लू कसाई पिता सिद्धीक कसाई फारूक कसाई पिता सिद्धीक कसाई
13	24/6	निजी	सिंचित	0.09	त्रिवेणीबाई पत्नि प्रकाश तिवारी
14	24/8	निजी	सिंचित	0.11	त्रिवेणीबाई पत्नि प्रकाश तिवारी
Total				1.95	

[फा. सं. NHAI/BPL:SAG/LA41010/2020/3a/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th January, 2026

S.O. 201(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **284 Dated:15/01/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH146 in the stretch of land from Km. 108.115 to Km. 149.141 in the district of SAGAR in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Nav Duniya” and “Free Press” both dated **18/01/2025**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH146 in the stretch of land from Km. 108.115 to Km. 149.141 in the district of SAGAR in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: SAGAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Rahatgarh					
Village: Mada					
1	1/1	Private	Irrigated	0.18	Usman son of Abdulqadar

2	1/7	Private	Irrigated	0.18	Mu Shadiq son of Mu Hanif
3	17/1	Private	Residential	0.04	Seema wife of Shriram
4	2/12	Private	Irrigated	0.04	Aashiq son of Muhammad Hanif
5	2/14	Private	Irrigated	0.045	Mu Rafiq son of Sharif
6	24/1	Private	Irrigated	0.28	Mukesh son of Ganesh Jayaram son of Ganesh Jagdish son of Ganesh
7	24/10	Private	Irrigated	0.1	Leelabati wife of Ashok Kumar
8	24/11	Private	Commercial	0.19	Amit Kumar son of Ashok Kumar
9	24/2	Private	Irrigated	0.18	Bhagwati daughter of Lakhan Priyanka daughter of Lakhan Nitesh son of Lakhan Motibai widow of Lakhan Sanjay son of Lakhan
10	24/3/1/1	Private	Irrigated	0.06	Farooq Kasai son of Siddique Kasai
11	24/3/1/2	Private	Irrigated	0.185	Mohd. Arif son of Abdul Rashid Waseem son of Abdul Rashid Mohammad Shami son of Abdul Rashid Farid son of Abdul Rashid Shakeel son of Abdul Rashid Mohd. Asif son of Abdul Rashid Zahida Bi wife of Abdul Rashid
12	24/3/2	Private	Irrigated	0.27	Kallu Kasai son of Siddique Kasai Farooq Kasai son of Siddique Kasai
13	24/6	Private	Irrigated	0.09	Trivenibai wife of Prakash Tiwari
14	24/8	Private	Irrigated	0.11	Trivenibai wife of Prakash Tiwari
Total				1.95	

[F. No. NHAI/BPL:SAG/LA41010/2020/3a/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director